2018 का विधेयक संख्यांक 110

[दि विमेन एंड गर्ल चाइल्ड (प्रिवेन्शन ऑफ एट्रोसिटीज़) बिल, 2018 का हिन्दी रूपान्तर]

डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य

का

महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) विधेयक, 2018

बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (*1*) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिला और बालिका (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 है।

(*2*) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

परिभाषाएं।

5 2. (*1*) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी राज्य के मामले में उस राज्य की सरकार और अन्य सभी मामलों में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''अत्याचार'' में शामिल है,—

(*i*) किसी महिला या बालिका का नग्न प्रदर्शन करना या उनके चेहरे या शरीर पर काले रंग से चित्रकारी करना या इसी प्रकार के कृत्य करना;

(*ii*) किसी महिला या बालिका को भिक्षावृत्ति या बंधुआ मजदूरी या बिना भुगतान का कोई कार्य करने के लिए विवश करना या फुसलाना;

(*iii*) किसी महिला या बालिका को उत्पीड़ित करने के लिए अपने पद का प्रयोग करना या उसका यौन शोषण करना या अनादर करना या सार्वजनिक रूप से अपमान करने के आशय से उसे अभित्रस्त करना;

(*iv*) बिना सहमति के तस्वीरें या वीडियो लेना, या किसी महिला या बालिका को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करना;

(ग) 'बालिका' से अभिप्रेत है कोई स्त्री जिसने अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है;

(घ) 'निरावृत्त करना' से अभिप्रेत है किसी बालिका या महिला द्वारा पहने गए कपड़े या उसके भाग को, यथास्थिति, ऐसी बालिका या महिला के शरीर या उसके किसी भाग का प्रदर्शन करने के आशय से बलपूर्वक हटाना या फाड़ना;

(ङ)'छेड़छाड़' में शामिल है शब्द, गीत उच्चारित करना, सीटी की ध्वनि या संकेत करना, कोई वस्तु या शरीर का भाग प्रदर्शित करना, किसी बालिका या महिला का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कोई वस्तु फेंकना या कोई अवांछनीय कृत्य करना;

(*2*) इसमें प्रयुक्त किए गए और इस अधिनियम में परिभाषित न किए गए परन्तु भारतीय दण्ड संहिता, 1860 या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः उन नियमों में निर्दिष्ट किया गया है। 1860 का 45 1974 का 2

किसी महिला या बालिका की लज्जा भंग करने के लिए दण्ड।

3. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी महिला या बालिका को सार्वजनिक रूप से निरावृत्त करके उनकी लज्जा को भंग करता है, वह ऐसे कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा परंतु दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और जुर्माने से जिसे दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित होगा। 1860 का 45

किसी महिला या बालिका को छेड़ने के लिए दण्ड।

4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी महिला या बालिका को छेड़ता है, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से, जो दो लाख रुपये से कम नहीं होगा परंतु जिसे पांच लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित होगा। 1860 का 45

किसी महिला या बालिका को देवदासी के रूप में पेश करने या उन्हें वेश्यावृत्ति के लिए विवश करने के लिए दण्ड।

5. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी महिला या बालिका को देवदासी के रूप में पेश करता है या उन्हें वेश्यावृत्ति करने के लिए विवश करता है, वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम नहीं होगा परंतु जिसे पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित होगा। 1860 का 45

किसी महिला या बालिका पर अत्याचार करने के लिए दण्ड।

6. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो कोई व्यक्ति किसी भी स्थान और किसी भी समय किसी महिला या बालिका पर कोई अत्याचार करता है, वह कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगा और जुर्माने से, जिसे पांच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित होगा। 1860 का 45

किसी महिला या बालिका से बलात्संग कारित करने के लिए दण्ड।

7. भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, जो किसी महिला या बालिका से बलात्संग का अपराध कारित करता है, मृत्युदण्ड से दण्डित होगा। 1860 का 45

जानबूझकर अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए लोक सेवक के लिए दण्ड।

8. जो कोई, लोक सेवक होने के नाते, इस अधिनियम के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्त्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है, वह—

(क) सेवा से पदच्युत कर दिया जाएगा; और

(ख) ऐसी अवधि के कारावास, जो एक वर्ष से कम नहीं होगा परंतु तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा और ऐसे जुर्माने से भी, जो दो लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, दण्डित होगा।

विशेष न्यायालयों की स्थापना।

9. समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा संबंधित उच्च न्यायालय की सहमति से इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक विशेष न्यायालय स्थापित करेगी।

अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

1974 का 2

10. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा।

राहत और पुनर्वास उपाय।

11. (*1*) समुचित सरकार उपयुक्त स्कीमें तैयार करके इस अधिनियम के अधीन पीड़ितों को ऐसे राहत प्रदान करेगी, जो समय-समय पर अधिसूचित किए जाएं।

(*2*) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राहत और पुनर्वास उपायों में शामिल होगा,—

(क) नि:शुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

(ख) नि:शुल्क भोजन और आवास सुविधाएं;

(ग) आमोद-प्रमोद संबंधी सुविधाएं;

(घ) व्यावसायिक प्रशिक्षण;

(ङ) योग्य मामलों में नियोजन;

(च) ऐसी अन्य सुविधाएं जो समुचित सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक और समीचीन समझे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराया जाना।

12. केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद की विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएगी।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होगा।

13. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाए, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात या किसी अन्य विधि के फलस्वरूप प्रवृत्त किसी रूढ़ि या प्रथा या किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

अधिनियम अन्य विधियों की अनुपूर्ति करेगा।

14. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में।

नियम बनाने की शक्ति।

15. (*1*) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(*2*) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र अथवा आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन अथवा उसे बातिल करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् यथास्थिति वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा। किंतु उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हमारे समाज में, सुधारों और जागृति के बावजूद यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवा बालिकाएं और महिलाएं अभी भी विभिन्न अत्याचारों और हिंसा के प्रति सर्वाधिक सुभेद्य बनी हुई हैं। यहां तक कि सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक परिवहन आदि में उनके साथ छेड़छाड़ और उत्पीड़न रोजमर्रा की बात बन गई है। छेड़छाड़ करने वाले ये लोग निडर हो गए हैं। ये असामाजिक तत्व बालिकाओं और महिलाओं पर भद्दी टिप्पणियां करते हैं, अश्लील मुद्राएं बनाते हैं और तेजी से आकर उन्हें छेड़कर चले जाते हैं जिससे कई बार उन्हें शारीरिक चोट भी लग जाती है। जो व्यक्ति ऐसी घटनाओं को देखते हैं, उनमें से कोई भी ऐसी असहाय बालिका या महिला के बचाव के लिए आगे नहीं आता है। उन्हें सार्वजनिक परिवहन, सार्वजनिक स्थानों में अनेक प्रकार का उत्पीड़न झेलना पड़ता है। इनमें से अधिकांश मामले प्रकाश में भी नहीं आ पाते हैं। अनेक अवसरों पर, गांवों में महिलाओं को तथाकथित रूप से निरावृत कर दिया जाता है और उन्हें नग्नावस्था में गांवों में और सड़कों पर चलाया जाता है तथा उन्हें निर्दयता के साथ पीटा जाता है। देश के कुछ भागों में महिलाओं पर चुड़ैलों का ठप्पा लगा दिया जाता है तथा उन्हें निर्ममता के साथ मार दिया जाता है, जिसे कठोर दण्ड द्वारा कड़ाई से निपटे जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, देश के कुछ भागों में, बालिकाओं को मंदिरों में देवताओं के समक्ष देवदासियों के रूप में अर्पित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वे अंततः यौन कर्मी बन जाती हैं। इसी प्रकार, युवा बालिकाओं और महिलाओं को अगवा कर लिया जाता है और वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। बालिकाओं तथा महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों की संख्या में अत्यंत तेजी से वृद्धि हुई है। इनमें से कुछ बालिकाओं और महिलाओं की बलात्कार के बाद नृशंस हत्या कर दी जाती है। बलात्कारियों के बीच कानून का कोई भय नहीं है। अतः यह आवश्यक बन जाता है कि महिलाओं और बालिकाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने के उद्देश्य से बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करने वाले अपराधियों के लिए सख्त सजा उपलब्ध कराई जाए। यह आशा है कि ऐसे कड़े उपाय समाज में बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करेंगे।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

नई दिल्ली;
23 फरवरी, 2018

उदित राज

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 विशेष न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करता है। खण्ड 11 समुचित सरकार द्वारा पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास का उपबंध करता है। खण्ड 12 उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार विधेयक के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को अपेक्षित निधियां उपलब्ध कराएगी। अत: विधेयक के अधिनियमित होने पर भारत की संचित निधि से व्यय होगा। यह अनुमान है कि इस पर प्रतिवर्ष आवर्ती व्यय के रूप में पांच हजार करोड़ रुपए का व्यय होगा।

इस पर प्रतिवर्ष सात हजार करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय भी होगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 15 केन्द्रीय सरकार को इस विधेयक के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। नियम केवल ब्यौरे के मामलों से ही संबंधित होंगे, अत: विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है।

लोक सभा

———

बालिकाओं और महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को नियंत्रित करने के लिए कठोर दण्ड, अत्याचारों के पीड़ितों के लिए पुनर्वास उपायों तथा महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

विधेयक

———

(डॉ॰ उदित राज, संसद सदस्य)

MGIPMRND—543LS—11-07-2018.